न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, सवाई माधोपुर

अपील संख्या – 4/2022 GCMS NO 2022/12

1. मानसिह पुत्र कंचन जाति बैरवा निवासी संजय कालोनी वार्ड न0 19 गंगापुर सिटी जिला सवाई माधोपुर
2. विमला पुत्री कंचन पत्नि मंगल जाति बैरवा निवासी ग्राम कुडगांव तहसील करौली
3. सुशीला पुत्री कंचन पत्नि हरि जाति बैरवा निवासी क्यारदा तहसील खण्डार जिला सवाई माधोपुर
4. गंगा पुत्री कंचन पत्नि रामफुल जाति बैरवा निवासी मानपुर तहसील सपोटरा हाल निवासी सेक्टर न0 49 संजय कालोनी फरीदाबाद
5. शांति पुत्री कंचन पत्नि जयराम जाति बैरवा निवासी मखनपुर तहसील सपोटरा हाल सेक्टर न0 48 संजय कालोनी फरीदाबाद
6. मंगली पत्नि कंचन जाति बैरवा निवासी संजय कालोनी गंगापुर सिटी जिला सवाई माधोपुर

अपीलांट

बनाम

किशन पुत्र लक्ष्मण कोली निवासी लौधा तहसील नादौती (मृतक वारिसान)

1. कृपाशंकर
2. मुकेश
3. रामनिवास
4. हेमराज
5. हरिप्रसाद पिसरान किशन जाति कोली निवासी लोधा तहसील नादौती जिला करौली
6. माया पुत्री स्व0किशन
7. रीना पुत्री स्व0किशन
8. सीता पत्नि स्व0किशन जातियान कोली निवासी लोधा तहसील नादौती जिला करौली
9. लैण्ड होल्डर सरकार जरिये तहसीलदार गंगापुर सिटी जिला सवाई माधोपुर
10. सब रजिस्ट्रार तहसीलदार तहसील गंगापुर सिटी जिला करौली

रेस्पो0

(अपील विरूद्व मु0नं0 135/2015 निर्णय व डिकी दिनांक 6.12.21 न्यायालय उप जिला कलक्टर, गंगापुर सिटी)

अभिभाषक अपीला0 श्री महेश अग्रवाल

अभिभाषक रैस्पो0 श्री जुगल किशोर गर्ग

दिनांक 26.11.2024

राजस्व अपील प्राधिकारी सवाई माधोपुर

निर्णय

Signature Not Verified
Digitally signed by Laxmi Kant Balot
Date: 2025.03.27 16:00:09 IST
Reason: SelfAttested

प्रस्तुत अपील अपीला0 की ओर से अंतर्गत धारा 22[illegible] विरूद्ध निर्णय व डिकी दिनांक 6.12.21 न्यायालय उप जिला कलक्टर, गंगापुर सि[illegible] ने एक वाद

अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से है कि [illegible] में वादी/अपीलांट [illegible] पत्र बाबत घोषणा खातेदारी,इन्द्राज दुरूस्ती बंटवारा भूमि व स्थ[illegible] निषेधाज्ञा इस आशय का [illegible] कि भूमि हाल ख0न0 739 रकबा 1.00 है0 वाके तन ग्राम चूली मे स्थित है। वादी संख्या 1 ता 5 के

Scanned with CamScanner

पिता व वादी संख्या 6 के पति स्व0कंचन पुत्र पांच्या बैरवा निवासी गंगापुर सिटी की खातेदारी व कब्जे काश्त की भूमि रही है। स्व0कंचन के साथ वादीगण गंगापुर सिटी मे निवास करते है। कंचन के साथ एवं कंचन की मृत्यु के पश्चात वादीगण उक्त आराजीयात पर काबिज रहकर काश्त करते चले आ रहे है। हाल ख0न0 739 का पुराना ख0न0 481 रकबा 3 बीघा 18 विस्वा था जो कि साबिक रिकार्ड मे कंचन के पिता पांच्या पुत्र हन्दू के नाम राजस्व रिकार्ड मे दर्ज है। पांच्या की मृत्यु के उपरान्त कंचन के नाम राजस्व रिकार्ड मे दर्ज हुआ। इस प्रकार विवादित आराजीयात वादी की पैतृक भूमि है। जिसमे कंचन व वादीगण का प्रत्येक का हिस्सा 1/7, 1/7 रहा है। खातेदार कंचन की मृत्यु के बाद वादीगण उसकी आराजीयात पर काबिज काश्त है। वादीगण संख्या 1 ता 5 के पिता व 6 के पति स्व0कंचन पुत्र पांच्या नशे का आदि था तथा नशे की आदतो को पूरा करने के लिए लोग उसको नाजायज फायदा उठाते रहे है। नशे की पूर्ति हेतु अर्जुन पुत्र मोतीलाल गुर्जर से रूपया उधार लेता था अर्जुन उधार देकर उल्टा सीधा स्टाम्पो पर हस्ताक्षर कंचन के करवाता रहता था। अर्जुन गुर्जर ने कंचन की भूमि को गिरवी रखकर पैसा दिलाने के बहाने से तहसील कार्यालय मे जाकर आराजीयात को किशन पुत्र लक्ष्मण कोली के नाम विक्रय पत्र पंजीकृत करवा लिया। रामखिलाडी व पप्पू गुर्जर निवासी चूली जो अर्जुन के नजदीकी थे उनके गवाहो पर हस्ताक्षर करवा दिये गये। उक्त भूमि पर कब्जा कंचन का बना रहा है। वर्तमान मे वादीगण ही उक्त भूमि पर काबिज है। कंचन का उक्त विक्रय पत्र की कोई जानकारी नही थी ना ही वादीगण को उक्त विक्रय पत्र की जानकारी थी। विक्रय पत्र साजिशी व फर्जी है। स्व0कंचन से धोखा देकर करवाया गया है। उक्त भूमि पैतृक थी जिसमे कंचन का 1/7 हिस्सा था तथा 1/7 हिस्सा वादीगण का था इस प्रकार उक्त सम्पूर्ण भूमि को विक्रय करने का कोई अधिकार नही है। विक्रय पत्र प्रभावशून्य योग्य है। वादीगण उक्त आराजीयात को अपने नाम घोषणा खातेदारी कराने के अधिकारी है तथा रिकार्ड मे दुरूस्ती कराने के अधिकारी है। कंचन ने अपनी मृत्यु के कुछ दिन पहले वादीगण से कहा की उक्त भूमि को उसने अर्जुन गुर्जर के यहॉ 40000/–रूपये मे गिरबी रखी हुई है। राशि अर्जुन को देकर भूमि को छुडवा लेना। कंचन की मृत्यु के बाद वादीगण अर्जुन के पास गये तथा राशि लेकर भूमि को छोडने की कहने पर अर्जुन गाली गलौच देने लगा तथा कहा की भूमि की रजिस्ट्री कंचन ने किशन कोली के नाम करवा दी है। तब रजिस्ट्री की नकल लेने पर विक्रय पत्र की पूर्ण जानकारी हुई। वादीगण केता अुर्जन के पास गये तो उनसे विक्रय पत्र के बारे मे बात की तो उन्होने कहा कि भूमि को कंचन ने बेचान किया है कब्जा नही संभलवाया है। मौके पर मेरा कोई काश्त नही है। दिनांक 29.11.15 को वादीगण अपने खेत ख0न0 739 वाके ग्राम चूली की देखभाल कर रहे थे जहॉ पर प्रतिवादी संख्या 1 अपने साथ 4–5 लोगो के साथ लाठी डंडो के साथ आया तथा खेत पर चले जाने की धमकी दी गई। यह वाद कारण होने से दावा कराना लाजमी आया। दावा बाबत विक्रय पत्र को प्रभावशून्य घोषित करने व वादीगण को खातेदार घोषित करने तथा प्रतिवादी संख्या 1 का नाम हाल राजस्व रिकार्ड से हजफ किया जाकर वादीगण का नाम राजस्व रिकार्ड मे अमल किया जावे। इस प्रकार की इस्तदुआ अधिनस्थ न्यायालय से चाही गई।

अधिनस्थ न्यायालय मे प्रतिवादी के अधिवक्ता ने प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 सीपीसी पेश किया गया। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 सीपीसी पर बहस सुनी

Signature Not Verified

Digitally signed by Laxmi Kant Balot
Date: 2025.03.27 16:00:09 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

Scanned with CamScanner

जाकर प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर वादी का वाद पत्र खारिज किये जाने से व्यथित होकर अपीलांट/वादी द्वारा यह अपील इस न्यायालय मे पेश की गई है।

अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब किया गया। रेस्पो0 को नोटिस जारी कर तलब किया गया। बहस उभयपक्ष अभिभाषको की अपील पर सुनी गई।

अपीलांट के अधिवक्ता ने अपील मे अंकित तथ्यो को दोहराते हुए कथन किया कि अधिनस्थ न्यायालय का आदेश विधि एवं पत्रावली के विपरीत होने से निरस्त योग्य है। अधिनस्थ न्यायालय ने राजस्व अभिलेखो की अनदेखी कर अपीलाटान के स्वामित्व की पैतृक भूमि के उत्तराधिकारी हक व अधिकार से वंचित करने के उद्वेश्य से अपीलांट द्वारा प्रस्तुत राजस्व वाद को रेस्पो0 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र तहत आदेश 7 नियम 11 सीपीसी के आधार पर बिना साक्ष्य लिये ही वाद पत्र को खारिज किया है। जबकि फ़र्जी विक्रय पत्र को निरस्त करने वाद सिविल न्यायालय मे विचाराधीन है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा संख्या 145/15 निर्णय दिनांक 5.3.20 को निर्णित कर उभय पक्षकारान को मूल वाद के निस्तारण तक मौके एवं रिकार्ड की स्थिति यथावत बनाये रखने के आदेश दिये थे उसके बाबजूद भी वाद पत्र मे तनकी कायम नही कर पूर्ण साक्ष्य लिए बिना विधि विरूद्व आदेश 7 नियम 11 सीपीसी के तहत वाद पत्र खारिज कर अहम भूल की है। उक्त फर्जी रजिस्टर्ड विक्रय पत्र की एफ आई आर दर्ज करवाई गई थी जिस पर एफ आर लगने पर विरोध याचिका विचारधीन है। अधिनस्थ न्यायालय का आदेश प्राकृतिक सिद्वान्तो के विपरीत होने से निरस्त योग्य है। अधिनस्थ न्यायालय का आदेश एक पक्षीय होने से निरस्त योग्य है। अतःअपील अपीलांट स्वीकार फरमाई जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री अपास्त फरमाया जावे।

रेस्पो0 के अधिवक्ता ने अपनी बहस मे तर्क दिया कि वादीगण द्वारा अधिनस्थ न्यायालय मे वाद पत्र उनके पिता द्वारा भूमि विक्रय किये जाने पर पंजीकृत हुए विक्रय पत्र को निरस्त करने की रिलीफ चाही गई थी। विक्रय पत्र को निरस्त करने का अधिकार राजस्व न्यायालय को नही है। विक्रयप पत्र को निरस्त करने का श्रेत्राधिकार सिविल न्यायालय को प्राप्त है। इस प्रकार वादी का दावा वार्ड बाई लॉ होने से सीपीसी के प्रावधान अनुसार आदेश 7 नियम 11 का प्रार्थना पत्र पेश किया गया था। जिस पर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा उभयपक्ष की बहस सुनी जाकर सीपीसी के प्रावधानो के अनुरूप ही निर्णय पारित किया है। चूकिः विक्रय पत्र को निरस्त कराने हेतु वादी द्वारा वाद पत्र सिविल न्यायालय मे प्रस्तुत किया हुआ है जो विचाराधीन है। इसलिए दावा चलने योग्य नही होने से ही अधिनस्थ न्यायालय द्वारा खारिज किया गया है। इस प्रकार अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय विधि के अनुरूप होने एवं अपीलांट की अपील खारिज योग्य होनें से खारिज फरमाई जावे।

उभयपक्ष अधिवक्तागणो की बहस पर मनन किया। अपीलाधीन आदेश एवं अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया जिससे यह तथ्य सामने आये कि वादग्रस्त आराजीयात ख0न0 739 रकबा 1.20 है0 वाकै ग्राम ... की को वादीगण के पिता कंचन द्वारा दिनांक 26.6.2000 को प्रतिवादी किशन को विक्रय पत्र ... के आधार पर यह भूमि किशन

Signature Not Verified
Digitally signed by Laxmi Kant Balot
Date: 2025.03.27 16:00:09 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

Scanned with CamScanner

लाल की खातेदारी मे दर्ज है। वादीगण द्वारा वादी के पिता द्वारा किये गये विक्रय पत्र को निरस्त कराने हेतु वाद पत्र सिविल न्यायालय मे दायर किया जाना स्वीकार किया है। वादी द्वारा अधिनस्थ न्यायालय मे प्रस्तुत वाद पत्र मे विक्रय पत्र को प्रभावशून्य घोषित कराने की रिलीफ चाही गई थी। अपीलांट का कथन रहा कि अपीलांट पूर्वज कंचन का विवादित आराजीयात मे 1/7 हिस्सा था उसे पूर्ण बेचान का अधिकार नही था। जबकि विवादित आराजीयात ख0न0 739 रकबा 1.00 है0 की खातेदारी कंचन के नाम होने से एवं सम्पूर्ण हिस्सा कंचन के जिवित रहते प्रतिवादी किशनलाल को बेचान की गई है। कंचन द्वारा अपने जीवनकाल मे ही आराजीयात का बेचान जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र किया गया है जिसे निरस्त करने का अधिकार राजस्व न्यायालय को प्राप्त नही होने से ही अधिनस्थ न्यायालय द्वारा प्रतिवादी का प्रार्थना पत्र तहत आदेश 7 नियम 11 सीपीसी स्वीकार किया जाकर वादी/अपीलांट का वाद पत्र विधि के अनुरूप ही खारिज किया है। इस प्रकार अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री विधि अनुरूप होने से उसमे किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना उचित प्रतीत नही होने से अपीलांट की अपील खारिज किये जाने योग्य है।

अतःअपील अपीलांट खारिज योग्य होने से खारिज की जाती है। अधिनस्थ न्यायालय उप जिला कलेक्टर गंगापुर सिटी के मु0नं0 135/2015 निर्णय व डिक्री दिनांक 6.12.21 की पुष्टि की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 26.11.2024 को लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

राजस्व अपील प्राधिकारी सवाई माधोपुर सत्यमेव जयते

(लक्ष्मी कांत बालोत)
राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Laxmi Kant Balot
Date: 2025.03.27 16:00:09 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner